आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
27.5.17	**न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया** जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 115/2014–15 श्री राम नारायण मिश्र, पिता–स्व0 जगदेव मिश्र, ग्राम–धोबनियाँ, थाना–बौसी बसेठी, अंचल–रानीगंज, जिला–अररिया – आवेदक **बनाम** 1. बीबी सोहरा खातुन, पति–मो0 सुलेमान 2. बीबी सैरूण खातुन, पति–मो0 रहमान 3. बीबी रबिना खातुन, पति–मो0 हुसैन सभी सा0–धोबनियाँ, थाना–बौसी बसेठी, अंचल–रानीगंज, जिला–अररिया – विपक्षीगण	

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक राम नारायण मिश्र, पिता–स्व0 जगदेव मिश्र, ग्राम–धोबनियाँ, थाना–बौसी बसेठी, अंचल–रानीगंज, जिला–अररिया की ओर से विविध वाद सं0 02/2014–15 में विज्ञ अंचल अधिकारी, रानीगंज के पारित आदेश दिनांक 30.08.2014 से विक्षुब्ध होकर बिहार नामान्तरण अधिनियम की धारा 9 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 05.01.2015 को निम्न विवरण की जमीन का दर्ज जमाबंदी सं0 384 को रद्द करने हेतु दाखिल किया गया, जिसे दिनांक 16.01.2015 को प्रविष्टि की बिन्दु पर आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के तर्क से सहमत होते हुए विचारार्थ स्वीकृत किया गया और पक्षकारों को सूचना निर्गत की गई।

वादग्रस्त का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा	जमाबंदी सं0
धोबनियाँ	44	302	1205 1209	1.01 ए0	384

विपक्षीगणों की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल होने के पश्चात् अभिलेख को सुनवाई पर निर्धारित की गई। दिनांक 11.01.2017 को आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता की ओर से अंचल अधिकारी, रानीगंज के विविध वाद सं0 02/2014–15 के प्रस्ताव में अंकित सभी तथ्य ही उनका आधार बताया गया। तत्पश्चात विपक्षी को बार–बार सुनवाई का मौका दिया गया। परन्तु विपक्षी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए। उनके प्रतिउत्तर को ही

उनका पक्ष के आधार पर अभिलेख को आदेशार्थ निमित किया गया।

प्रथम पक्ष का दावा है कि प्रश्नगत भूमि का आर0एस0 सर्वे खतियान खाता 302, खेसरा 1205 एवं 1209, रकवा क्रमशः 0.43 डी0 एवं 0.58 डी0, कुल 1.01 एकड़ का उनके नाम से अन्य भूमि के साथ दर्ज है। जिसपर वे दखलकार है। जिसका लगान रसीद प्राप्त करने हेतु राजस्व कर्मचारी के पास गया तो पता चला कि प्रश्नगत खेसरा को खाता सं0 120 के अन्तर्गत दिखलाते हुए बिना किसी नामान्तरण वाद के विपक्षी के पूर्वज मजीद मियाँ, पिता–मकसूद अली, सा0–करंकिया के नाम से जमाबंदी सं0 384 दर्ज कर दिया गया है। जबकि खाता सं0 120 में प्रश्नगत खेसरा, खतियान में अंकित नहीं है। अतएव जमाबंदी सं0 384 को रद्द करने का अनुरोध करते हैं।

विपक्षी की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर के अनुसार यह सही है कि प्रश्नगत भूमि का आर0एस0 सर्वे खतियान आवेदक के नाम से दर्ज है। परन्तु प्रश्नगत भूमि मो0 मजीद मियाँ, पिता–मकसूद मियाँ, सा0–करंकिया द्वारा आवेदक के पिता स्व0 जगदेव मिश्र से बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 3038, दिनांक 07.10.1957 द्वारा क्रय किया गया है। तत्पश्चात भूमि पर दखलकार रहते हुए जमाबंदी सं0 384 दर्ज कराकर लगान रसीद प्राप्त करते आ रहें है। मजीद मियाँ के मृत्युपरांत उनकी पत्नी मसो0 सीतावन से प्रश्नगत भूमि दस्तावेज के अनुसार खाता 120, खेसरा 1205, 1209 कुल रकवा 12 डी0 625 वर्गकड़ी भूमि बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 6186, दिनांक 17.07.2009 द्वारा द्वितीय पक्ष क्रय कर दखलकार हुए और विधिवत नामान्तरण वाद सं0 1814/2009–10 द्वारा दाखिल खारिज कराकर जमाबंदी सं0 961 दर्ज हुआ और द्वितीय पक्ष लगान रसीद प्राप्त करते आ रहें हैं। साक्ष्य स्वरूप निम्नलिखित कागजात दाखिल की गई है :–

1. निबंधित केवाला सं0 3038, दिनांक 07.10.1957 की अभिप्रमाणित छाया प्रति।
2. निबंधित दस्तावेज सं0 6186, दिनांक 17.07.2009
3. मजीद मियाँ के नाम संधारित जमाबंदी सं0 384 से संबंधित लगान रसीद 1962–63 से 2013–14 तक (7 अदद)

अतएव आवेदक द्वारा दाखिल जमाबंदी रद्द करने के आवेदन को निरस्त करने का अनुरोध करते हैं।

उभय पक्षों के दावे, अभिलेख में संलग्न साक्ष्यों तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का आर0एस0 सर्वे खतियान आवेदक के नाम से दर्ज है। जिसे खाता 120 के अन्तर्गत दिखाते हुए विपक्षीगणों के पूर्वज मजीद मियाँ द्वारा आवेदक के पिता स्व0 जगदेव मिश्र से बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 3038, दिनांक 7.10.1957 द्वारा क्रय किया गया है तथा उसी आधार पर मजीद मियां के नाम जमाबंदी सं0 384 दर्ज किया गया है। मजीद मियाँ की मृत्युपरांत उनकी पत्नी मसो0 सीतावन द्वारा प्रश्नगत खेसरा से रकवा 12.625 वर्गकड़ी भूमि

निबंधित दस्तावेज सं0 6186, दिनांक 17.07.2009 द्वारा अपने पतोहू विपक्षीगणों को बिक्री कर दी गई है, जिसका नामान्तरण वाद सं0 1814/2009–10 द्वारा दाखिल–खारिज होकर जमाबंदी सं0 961 उनके पक्ष में दर्ज है। निबंधित दस्तावेज में भी प्रश्नगत खेसरा का खाता 120 ही दर्ज है। जबकि खतियान में प्रश्नगत खेसरा का खाता 302 दर्ज है। निबंधित दस्तावेज एवं निर्गत रसीदों से स्पष्ट है कि बहुत पूर्व से ही मजीद मियाँ के नाम जमाबंदी सं0 384 कायम है। दस्तावेज में खाता सं0 गलत अंकित है, परन्तु खेसरा सही है। खाता 120 की जगह खाता 302 होना चाहिये, परन्तु भूमि की बिक्री आवेदक के पिता द्वारा की गई है, जिसके आधार पर मजीद मियाँ के नाम जमाबंदी सं0 384 कायम है। अतः यह मामला जमाबंदी रद्दीकरण का नहीं है। विपक्षीगणों के नाम दर्ज जमाबंदी को रद्द किया जाना युक्ति संगत नहीं होगा। अतः आवेदक के जमाबंदी रद्दीकरण आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख अंचल अधिकारी, रानीगंज को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह०–
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ह०–
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 53 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 27 / 05 /2017

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, रानीगंज को विविध नामांतरण वाद सं0 02/2014–15 मूल के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

27.5.17
अपर समाहर्त्ता,
अररिया